न्यायालय :– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डेगाना
भैरूराम वगैरह बनाम मस्तुराम वगैरह
दीवानी मूल प्रकरण सं. 15/2024

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
03.07.2024	वादीगण के अधिवक्ता श्रीमती हर्षा चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी सं 1 के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मेघवाल उपस्थित। प्रतिवादी सं 2 व 3 के अधिवक्ता श्री कमलेश नारायण व्यास उपस्थित। प्रतिवादी सं 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण ने उक्त अनुवान का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अदालत हाजा में ग्राम मेवडा की जमीन खसरा नं 396 पुराने व नये खसरा नं 458 बाबत प्रस्तुत किया व इस जमीन बाबत दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया व बेचान दस्तावेज क्रम सं 2017002032 को वादीगण के हितों के प्रति निष्क्रिय एवं प्रभाव शून्य घोषित कराने बाबत पेश किया है, जबकि घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्व जमीन बाबत सुनने का केवल मात्र हक अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। उक्त वादपत्र सुनने का हक अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सिविल न्यायालय में केवल मात्र बेचान दस्तावेजात को निरस्त करने का प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इस वादपत्र में वादीगण ने बेचान दस्तावेज को निरस्त करने की इस्तदुवा नहीं चाही व न ही वाद पत्र के शीर्षक में बेचान दस्तावेज बाबत दावा पेश करने का लिखा है, केवल मात्र घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया, जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है व दावा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। इस जमीन बाबत माननीय उपखण्ड अधिकारी डेगाना की अदालत में दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहा व स्थगन प्रार्थना पत्र की अपील राजस्व प्राधिकारी अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें मस्तुराम प्रतिवादी के पक्ष में आदेश हुआ, जिसकी अपील वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे की, जहां पर उनकी रिविजन खारिज हो गयी थी, जिससे भी अब उक्त प्रकरण सिविल न्यायालय में कानूनन नहीं चल सकता है। अंत में वादीगण का वाद पत्र विधि विरूद्ध होने व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर वादीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया, जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थना पत्र का फिकरा नं 1 आंशिक रूप से सही है। प्रतिवादी ने अपने इस फिकरे में यह तथ्य कहीं पर भी दर्ज नहीं किये कि उक्त वादपत्र किस विधि के अंतर्गत राजस्व न्यायालय में ही पेश किया जा सकता है और उक्त वादपत्र का सुनने का एकमात्र हक, अधिकार, राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। बेचान दस्तावेज निरस्त करने एवं बेचान दस्तावेज	

को शून्य घोषित करना का शाब्दिक अर्थ एक ही है। सही तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा माननीय राजस्व न्यायालय डेगाना में इस आधार पर पेश किया था कि वाके मौजा मेवड़ा की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नं 396 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा जिसके नये खसरा नं 458 रकबा 2.9400 हेक्टेयर उक्त जमीन वादीगण की पूर्वजों की जमीन है और प्रतिवादी सं 1 के पिता जवानाराम इस जमीन का हस्तांतरण करने पर आमादा है, इसलिए प्रतिवादी सं 1 के पिता उक्त खसरे की जमीन का हस्तांतरण नहीं करे, इस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया था, इसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा करने पर माननीय आरएए नागौर ने माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वादीगण को उक्त विवादग्रस्त जमीन के बेचान बाबत सिविल न्यायालय में वादपत्र पेश करना था। साथ ही **मजीद उजरात** में अभिकथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी तभी पेश किया जा सकता है, जब उक्त वादपत्र किसी विधि द्वारा वर्णित हो, कभी स्टाम्प हो और उस बाबत न्यायालय द्वारा कभी स्टाम्प पूरी करने का आदेश के बावजूद कमी पूर्ति नहीं की गयी हो या किसी प्रकार का बिनाय दावा बाबत तथ्य दर्ज नहीं किये गये हो। अंत में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने एक वादपत्र दावा घ ोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र के पैरा सं 9 के अंत में वर्णित किया कि उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा वादीगण एंव प्रतिवादी सं 2 व 3 के हितों के विपरीत होने से वो इनके हितों के प्रति निष्क्रिय एवं प्रभावशून्य होने से उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा को वोईड घोषित कराने हेतु वादीगण दावा बाबत घ ोषणा का पेश करता है। इसके अलावा वादपत्र के पैरा सं 15 में भी रजिस्टर्ड बेचाननामा को वोईड घोषित करवाना चाहते हैं, उल्लेखित किया है। दावा इस्तदुवा में भी वादीगण ने वर्णित किया है कि वादीगण हितों के प्रति निष्क्रिय और प्रभावशून्य होने से वोईड घोषित किया जावे। इस प्रकार वादी का वाद विवादित दस्तावेज को निष्क्रिय व प्रभावशून्य होने से उसे वोईड घोषित कराने का पेश किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये उजर आपत्ति पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज योग्य है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। **आदेश की प्रति (Web Copy) ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावें।** पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु दिनांक 02.09.2024 को पेश हो।